

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5775/2021 भूपेन्द्र जीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यातक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।


याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में सुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डिमरी, पहाड़ी, जिला-भरतपुर (211694) में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर कार्यरत है जो कि उसके निवास स्थान से 130 किमी दूरस्थ है। याचिकार्थी के कठनानुसार उसकी पत्नी भी राजकीय सेवा में निवास स्थान से 105 किमी दूरस्थ कार्यरत है जो कि गर्भरथ है, याचिकार्थी के माता पिता का देहान्त हो जाने तथा 60 से अधिक वर्षीय चाचा के उन पर आश्रित होने के कारण याचिकार्थी को अपनी पत्नी व चाचा की देखभाल करने में कई परेशानियाँ हो रही हैं। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति-पत्नी प्रकरण (यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) में कार्यरत किया जावें) के आधार पर भरतपुर जिले (भरतपुर मण्डल) से अलवर जिले (जयपुर मण्डल) के विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत रिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल कैंडल के होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर रथानान्तरण करने से विभाग का मण्डल स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार / मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल में रथानान्तरण कर मण्डल परिवर्तन किये जाने से मण्डल में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जाना हित रखने विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थी द्वारा पति-पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर भरतपुर मण्डल व जयपुर मण्डल में रथानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक पं 17(30) शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक 14.08.2021 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यस्त पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के विन्दु संख्या 03 में अंकित पति-पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान रेफर्म्डारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल / जिला आवंटन पश्चात् काउंसलिंग में वर्णीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 द्वेष्टा बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित रक्षण पर रथानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर सम्बन्धित के पक्ष में रथानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा रथानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पत्नी के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।


(काना राम)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक:- ०५/०८/२०२१

क्रमांक:- शिविरा-मा./संरथा/एफ-2/को.के./जोध/13135/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय ऐवसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
6. याचिकार्थी भूपेन्द्र जीत सिंह, व.अ. (गणित), राउमावि, डिमरी, पहाड़ी, जिला-भरतपुर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)